मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिटटन मार्केट, ई–5, अरेरा कालोनी,
भोपाल – 462016
फोनः 0755 – 2430154, फैक्सः– 0755–4292110
ई मेलः– secmperc@sancharnet.in वैबसाईटः– www.mperc.in

क्रमांक मप्रविनिआ/संचा. (टै)/2023/124 **भोपाल, दिनांक 12/01/2023**

: सार्वजनिक सूचना :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 वर्ष 2003) की धारा 181 (1) सहपठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों ओर कैप्टिव उपभोक्ताओं का सत्यापन) विनियम, 2022 जारी किया जाना प्रस्तावित करता है। उक्त विनियम का प्रारुप आयोग की वैबसाईट **www.mperc.in** पर उपलब्ध है।

विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 वर्ष 2003) की धारा 181 (1) सहपठित धारा 9 के अन्तर्गत वे व्यक्ति जो उक्त विनियम के प्रारूप पर अपने सुझाव/आपत्तियां/टीप प्रस्तुत करना चाहें, वे लिखित में आयोग सचिव, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई–5, अरेरा कालोनी बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016 को 21 दिन के भीतर प्रेषित कर सकते हैं। इच्छुक व्यक्तियों द्वारा उपरोक्त प्रस्तावित विनियम की प्रति किसी भी कार्यालयीन दिवस को, प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य आयोग कार्यालय से रु. 50/– (प्रति सेट) के नगद भुगतान द्वारा अथवा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल को देय डिमांड ड्राफ्ट के भुगतान द्वारा प्राप्त की जा सकती है । यह प्रति डाक द्वारा रु. 50/– के अतिरिक्त भुगतान द्वारा (रु. 50/– प्रति सेट की दर से + रु. 50/– डाक व्यय हेतु) भी प्राप्त की जा सकती है।

आयोग द्वारा **दिनांक 06 फरवरी, 2023 को प्रातः 11.00** बजे विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जन सुनवाई की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने समय सीमा में अपने लिखित सुझाव/आपत्तियां/टीप प्रस्तुत किए हैं, वे अपना मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. आयोग को भेजकर, उक्त जनसुनवाई में आयोग की वैबसाईट पर उपलब्ध गाईड लाईन्स के अनुसार उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

आयोग के आदेशानुसार,

सचिव